

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-105/2017/3723/दो-2-2017-28/2(2)/2017

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2017

आदेश

श्री दीनानाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-64947 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री दीनानाथ गुप्ता, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-73/15763/528/33128, दिनांक 05-07-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि ₹0-13,42,066/- (₹0-तेरह लाख बयालिस हजार छछठ मात्र) जिस पर माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, में वर्ष 2016-2017 में किये गये अभिदान की धनराशि ₹0-1,36,224/- को जोड़ने तथा कार्यालय जाप दिनांक 15-11-2016 द्वारा स्वीकृत अन्तिम निष्कासन की धनराशि ₹0-5,25,000/- को घटाने के उपरान्त कुल धनराशि ₹0-9,53,290/- होती है, की 90 प्रतिशत धनराशि ₹0-8,57,961/- (₹0-आठ लाख सत्तावन हजार नौ सौ इकसठ मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री दीनानाथ गुप्ता के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री दीनानाथ गुप्ता, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- श्री दीनानाथ गुप्ता, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-फ्लैट नं0-106, ए-ब्लॉक, प्रथम तल, कान्हा रेजीडेन्सी तिवारीगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226028

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।